

कार्यकारी सार

अनेक कंपनियां जो व्यवसाय से बड़े लाभ प्राप्त कर रही थीं और लाभांश के रूप में अपने शेयर धारकों को आय का पर्याप्त हिस्सा वितरित कर रही थीं, अधिनियम में उपलब्ध विभिन्न कटौतियों और छूटों का लाभ उठाकर अपनी कर देयता को कम कर रही थी। “शून्य कर कंपनियों” के रूप में सन्दर्भित ऐसी कंपनियों को वित्त अधिनियम 1987 द्वारा धारा 115 जे लागू कर दायरे में लाने के प्रयास किये गये थे। इस प्रावधान को वित्त अधिनियम 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था। इसे वित्त अधिनियम 1996 द्वारा, धारा 115 जे ए के रूप में पुनः लागू किया गया था। 01 अप्रैल 2001 से धारा 115 जे ए को पुनः संशोधित कर एक नई धारा 115 जे बी को लागू किया गया था जिससे कंपनियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर उनके अंकित लाभ/मानी गयी आय पर कर का भुगतान करना था। आगामी वर्षों में धारा 115 जे ए/115 जे बी के तहत कंपनियों द्वारा भुगतान किये गये कर के क्रेडिट की अनुमति हेतु धारा 115 जे ए ए में प्रावधान किया गया।

‘धारा 115 जे बी के विशेष प्रावधान के तहत कतिपय कंपनियों द्वारा कर के भुगतान’ जिसे न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के रूप में भी सन्दर्भित किया गया की निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करने के उद्देश्य से की गई कि क्या:

- (i) विशेष प्रावधानों में कोई अस्पष्टता और कमी सहित किसी प्रकार की प्रणालीगत मुद्दे हैं जिसके परिणामस्वरूप कर देयताएं शून्य/कम हो गई;
- (ii) आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा मैट से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया जा रहा था और, यदि नहीं, निर्धारण में चूकों के कारण राजस्व के अवनिर्धारण/हानि और अन्य अनियमिताओं का निर्धारण करना;
- (iii) आईटीडी ने कर विवरणी फाइल नहीं करने वाली कंपनियों की पहचान करने और उनको कर दायरे के अन्तर्गत लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(iv) शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों को कर दायरे में लाने के लिए विशेष प्रावधान लागू करने का उद्देश्य प्राप्त हो गया है;

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान पूर्ण की गई निष्पादन लेखापरीक्षा में संवीक्षा निर्धारण, अपील और परिशोधन के मामले शामिल किए गए। हमने चयनित मामलों के संबंध में उन संक्षिप्त निर्धारण अभिलेखों की जांच की जहां लेखापरीक्षा की तिथि तक संवीक्षा निर्धारण पूरा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में 150 चयनित सीआईटी प्रभारों में 877 निर्धारण ईकाइयों में 15,677 अभिलेखों की मांग की गयी थी, जिनमें से आईटीडी ने केवल 11,293 अभिलेखों को ही उपलब्ध कराया था जिनकी इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा की गई थी।

निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय, हमने 195 निर्धारण मामलों की पहचान की जहां अधिनियम की धारा 115 जेबी के प्रावधानों में अस्पष्टता/कमी सहित प्रणालीगत मुद्दे देखें गये थे। उनमें से कुछ आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गये हैं:

[पैरा 2.2]

आईटीडी ने मैट के तहत कर के लिए 22 निर्धारण मामलों में आय को शामिल नहीं किया यद्यपि सामान्य प्रावधान के तहत कर के लिए इसे शामिल किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 74.10 करोड़ का कर प्रभाव बना।

[पैरा 2.4.1]

16 निर्धारण मामलों में आईटीडी ने अंकित लाभ की संगणना के लिए असाधारण/अपवादात्मक मदों* पर विचार नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 23.13 करोड़ के कर प्रभाव वाली ₹ 126.57 करोड़ की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ।

[पैरा 2.4.2]

* प्राप्तियो/भुगतानों में अतिविशिष्ट मदे जोकि कंपनियों के व्यवसाय के सामान्य नियम के माध्यम से प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं। शामिल हैं उन्हें इन मदों से पहले और बाद में कंपनी की आय को पृथक शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित करके लेखाकित किया जाता है।

तीन निर्धारण मामलों में यद्यपि, आईटीडी द्वारा समामेलन की अनुमोदित योजना में निर्धारित निर्देशों के अनुसार सामान्य रिजर्वों के प्रति लाभ/हानि को समायोजित किया गया परन्तु निर्धारिती की सुविधा के अनुसार मैट के उद्देश्य के लिए उनका समाधान भिन्न था। चूंके के परिणामस्वरूप ₹ 99.39 करोड़ के अंकित लाभ की कम संगणना हुई जिसमें ₹ 15.36 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 2.4.3]

आईटीडी द्वारा आठ निर्धारण मामलों में ₹ 331.14 करोड़ के कर प्रभाव वाले मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना में निर्धारिती द्वारा दावा किये गये 'विनियोजन लेखे' के प्रभारित डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व/लोन रिडम्पशन रिजर्व के संबंध में कटौती की अनुमति दी गयी थी।

[पैरा 2.5]

आईटीडी ने एक तरफ तो आठ निर्धारण मामलों में अंकित मूल्य की संगणना में लाभ और हानि लेखाओं के लिए मूल्यहास क्रेडिट की प्रणाली में परिवर्तन के कारण पूर्व वर्षों से संबंधित अधिक मूल्यहास को कम किया था। दूसरी ओर छः निर्धारण मामलों में, आईटीडी ने लेखांकन पद्धति परिवर्तित होने के कारण मूल्यहास में कमी को नहीं जोड़ा था। इसमें ₹ 5.16 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 2.6]

अग्रेणित हानि या अनावशोषित मूल्यहास की राशि लेखा बही के अनुसार, जो भी कम हो, उसे अंकित लाभ की संगणना में कुल लाभ से घटाया जाता है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा में अग्रेणित हानि और अनावशोषित मूल्यहास की संगणना में कुछ अनियमितताएं पायी गयी जिन्हें नीचे दिया गया हैं:

- (i) अग्रेणित हानि और अनावशोषित मूल्यहास के अनुपात में लाभ और हानि लेखाओं के अनुसार लाभ का आवंटन किया गया।
- (ii) पिछले वर्षों की अग्रेणित हानि/अनावशोषित मूल्यहास की अद्यतन संचयी स्थिति के स्थान पर उनकी विगत वर्षों की स्थिति को कमी के लिए लिया गया था।

(iii) चालू वर्ष सहित बाद के वर्षों में लेखा बहियों के अनुसार कारोबारी हानि/अनावशोषित मूल्यहास की समान राशि का दावा किया गया।

[पैरा 2.7]

आईटीडी ने छ: निर्धारण मामलों में सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना में वास्तव में बहु खाते डाले गए अशोध्य ऋणों को कटौती के रूप में अनुमति दी थी। तथापि, धारा 115 जेबी के तहत अंकित लाभ की संगणना करते समय, बहु खाते डाले गये अशोध्य ऋणों को कम नहीं किया गया था।

[पैरा 2.8.1]

आईटीडी ने 18 निर्धारण मामलों में, सामान्य प्रावधानों के तहत फर्जी खरीदों/अप्रकट आय/अलेखांकित आय के कारण अननुमतियाँ की और मैट के विशेष प्रावधानों के तहत नहीं, क्योंकि विशेष प्रावधानों के तहत इन मदों के संवर्धन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[पैरा 2.8.2]

आईटीडी ने सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना के दौरान 36 निर्धारण मामलों में लाभ और हानि लेखाओं के अनुसार लाभ पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली मदों के संबंध में अन्तरित मूल्य निर्धारण समायोजन किये, परन्तु मैट के तहत अंकित लाभ की संगणना के लिए उन पर विचार नहीं किया। इसमें ₹ 93.05 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8.3]

आईटीडी ने सामान्य प्रावधानों के तहत आय की संगणना के दौरान 39 निर्धारण मामलों में करों के रूप में सांविधिक देयताओं को अनुमति किया परन्तु उन पर मैट के तहत विचार नहीं किया। मैट की संगणना में सांविधिक देयों की अनुमति से ₹ 75.89 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल था।

[पैरा 2.8.4]

आईडीटी ने 12 निर्धारण मामलों में मैट के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्ययों को आय में नहीं जोड़ा हालांकि इसे लाभ और हानि लेखाओं में डेबिट किया गया था जिसमें ₹ 15.49 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 2.8.5]

आईटीडी द्वारा एक निर्धारण मामले में समामेलन के बाद समामेलित इकाई के व्यवसाय के बंद होने के बावजूद समामेलित कंपनी को मैट क्रेडिट की अनुमति प्रदान की गयी थी। [पैरा 2.8.6]

लेखापरीक्षा द्वारा 589 निर्धारण मामलों में अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अननुपालन के अनेक मामले/उदाहरण पाए गए थे। इनमें से कुछ को आगामी पैराग्राफों में दर्शाया गया है:

[पैरा 3.1]

आयकर विभाग द्वारा 28 निर्धारण मामलों में सामान्य प्रावधान के तहत भुगतान किये गये आयकर को अननुमत किया गया, परन्तु अंकित लाभ की संगणना के लिए इन पर विचार नहीं किया गया। इसमें ₹13.28 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 3.2.1]

आईटीडी ने 84 निर्धारण मामलों में ऐसे खर्चों जो कुल आय का हिस्सा नहीं थे अंकित लाभ में नहीं जोड़ा जिसमें ₹ 102.03 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 3.2.2]

आईटीडी ने 47 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना करते समय परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के प्रावधान के रूप में अलग रखी गयी राशि को नहीं जोड़ा था जिसमें ₹ 1827.86 करोड़ के कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 3.2.3]

आईटीडी द्वारा 22 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में अनिश्चित देयता के प्रावधानों पर विचार नहीं किया था। चूंके के परिणामस्वरूप ₹ 50.02 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 3.2.4]

आईटीडी ने 28 निर्धारण मामलों में कटौतियों द्वारा अंकित लाभ कम किया था जो अधिनियम में निर्धारित नहीं हैं, जिसमें ₹ 48.60 करोड़ का कर प्रभाव बनता था।

[पैरा 3.3]

आईटीडी द्वारा 277 निर्धारण मामलों में निर्धारण अभिलेखों के सन्दर्भ में आईटीआर में निर्धारिती द्वारा किये गये दावों की अद्यतन स्थिति की पुष्टि किये बिना ₹ 1,559.21 करोड़ के मैट क्रेडिट के गलत समंजन/अग्रेनयन/गैर समंजन की अनुमति दी गयी।

[पैरा 3.4]

आईटीडी ने 37 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में लेखा बहियों के अनुसार अग्रेनीत हानि और अनावशोषित मूल्यहास, को उचित ढंग से नहीं घटाया जिसमें ₹ 22.97 करोड़ का कर प्रभाव शामिल था।

[पैरा 3.5]

43 निर्धारण मामलों में अंकित लाभ की संगणना में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां थीं इसके परिणामस्वरूप ₹ 88.91 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

[पैरा 3.9]

वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के दौरान रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास कार्यकारी पंजीकृत कंपनियों और डीजीआईटी (रसद, अनुसंधान एवं सांख्यिकी) द्वारा बताई गई कंपनियों की संख्या के बीच 2.94 लाख (33.3 प्रतिशत) से 3.94 लाख (36.4 प्रतिशत) तक का अन्तर था जो कंपनियों द्वारा आय की विवरणी की नॉन-फाइलिंग/स्टॉप फाइलिंग की सीमा को इंगित करता है। आरओसी के पास पंजीकृत कंपनियों में से एक तिहाई आईटीडी के डाटाबेस में नहीं थी।

[पैरा 4.2]

नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम (एनएमएस) के माध्यम से पहचाने गये 12,750 नॉन-फाइलरों में से आईटीडी ने केवल 9013 (70.69 प्रतिशत) मामलों में ही नोटिस जारी किये थे। उनमें से, केवल 29.73 प्रतिशत कॉर्पोरेट नॉन-फाइलरों की पहचान आईटीडी द्वारा की गयी जिन्होंने आईटीडी द्वारा जारी किये गये नोटिसों के जवाब में अपनी आय विवरणी फाइल की थी जबकि शेष 6,208 मामलों में कोई भी विवरणियां फाइल नहीं की गयी थीं।

[पैरा 4.2.1]

34 निर्धारण मामलों में आईटीडी द्वारा अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर उदग्रहीत किया गया था यद्यपि कर विशेष प्रावधानों के तहत उदग्राहय था। चूंके परिणामस्वरूप ₹127.86 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ।

[पैरा 5.3]